



# कार्यालय-प्राचार्य शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नवाडीह चौक सीपत, सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड - 495555

Website - <https://gmlcollege.ac.in>, Email\_ [gmlscseepat@gmail.com](mailto:gmlscseepat@gmail.com), AISHE CODE C-22298

क्रमांक / 497 स्था. / 2026

सीपत, दिनांक 21/08/2026

## अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के प्राध्यापक (समाज शास्त्र), के रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 31/08/2026 को सांय 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, महाविद्यालय की वेबसाईट <https://gmlcollege.ac.in> में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

डॉ. राजीव शंकर खेर  
प्राचार्य

पृ.क्रमांक / / स्था. / 2026  
प्रतिलिपि -

प्रमाणित दिनांक 21/08/2026  
शास. एम. एल. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय ई. राघवेन्द्र राव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने बाबत।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने बाबत।
4. महाविद्यालय वेबसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
5. महाविद्यालय सूचना पटल/कार्यालय प्रति।

डॉ. राजीव शंकर खेर  
प्राचार्य  
शास. एम. एल. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)



## कार्यालय—प्राचार्य शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नवाडीह चौक सीपत, सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड - 495555

Website - <https://gmlscollege.ac.in>, Email\_ [gmlscseepat@gmail.com](mailto:gmlscseepat@gmail.com), AISHE CODE C-22298

सीपत, दिनांक 21/08/2026

### // अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. ESTB/23066/2026-O/O Additional Director नवा रायपुर, दिनांक 17/07/2026 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/2016/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 एवं कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. ESTB/2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18/08/2026 के अनुसार शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में विषय समाज शास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 को सांय 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक /क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा

अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3. **आयु सीमा** – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

**विषय/पदों का विवरण :-**

| क्रमांक | विषय         | रिक्त पद एवं संख्या |               |                 |          |               |
|---------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
|         |              | प्राध्यापक          | सह-प्राध्यापक | सहा. प्राध्यापक | ग्रंथपाल | क्रीड़ाधिकारी |
| 1.      | समाज शास्त्र | 01                  | Nil           | Nil             | Nil      | Nil           |

**टीप :-** संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

**शर्त :-**

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 31.08.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक **05.09.2026** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08.09.2026** तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **10.09.2026** को किया जावेगा, जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है, एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

**10. मानदेय:-**

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है:-

- अतिथि व्याख्याता मानदेय – 2000/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/-)
- अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी – 1600/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/-)
- अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय – 1400/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/-)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक /अतिथि क्रीड़ा सहायक – 1200/- प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/-)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड- 495555 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।



प्राचार्य

शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पिन कोड - 495555

**प्राचार्य**

शास.एम.एल.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)